

## Order sheet [Contd]

case No: B.A. - 331 / 17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>23-09-17 03:10 to 03:25 pm</p>	<p>आवेदक / अभियुक्त जयसिंह द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता उप0।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।</p> <p>थाना मौ के अपराध क्रमांक 226/17 अंतर्गत धारा-353, 332, 186, 294, 506, 452 भा0द0सं0 की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक जयसिंह के जमानत आवेदन के साथ उसके भाई दारासिंह पाण्डोली या का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 है। इस आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई इस प्रकृति का आवेदन इस न्यायालय में, समकक्ष न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।</p> <p>आवेदक के जमानत आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।</p> <p>आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है वह ग्राम गंधरी थाना आलमपुर तहसील लहार जिला भिण्ड का निवासी होकर सीधा साधा व्यक्ति होकर तहसील गोहद में पटवारी है। आवेदक दिनांक 09.09.17 को अपने मौजे की नामंतरण पंजी को हस्ताक्षर कराने के लिए नायब तहसीलदार वृत्त मौ के निवास पर पहुंचा और वहां जाकर निवेदन किया कि उसे उक्त पद से सस्पेंड कर दिया गया है और उसे चार्ज अन्य किसी पटवारी को देना है। इस पर हस्ताक्षर होना है तो इसी पर नायब तहसीलदार डोंडी 3,500/-रुपए की मांग करने लगे तो उसने मना किया जिस पर उन्होंने अपने पड़ोसी दिनेश श्रीवास्तव एवं सहयोगी रामनिवास, सुभाष को बुलाकर उसकी मारपीट की और उसका फोरजी मोबाइल जिसमें सिम नंबर 8319455232 डली थी को छुड़ा लिया तथा साथ में रखे 5,000/-रुपए भी निकाल लिए और गैर उपयोगी रद्दी कागजों को फाड़कर पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वा दिया। उक्त अपराध अजीवन कारावास या मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डनीय नहीं है। आवेदक शासकीय सेवक है। वह न्यायालय की सभी शर्तों का पालन करेगा। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>राज्य की ओर से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफीयत व केस डायरी का</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 09.09.17 को सुबह 09:15 बजे फरियाद राकेश कुमार ढोडी प्रभारी तहसीलदार वृत्त मौ अपने कमरे में बैठकर शासकीय कार्य कर रहा था उसी समय इटायली मौजे का पटवारी आवेदक जयसिंह पाण्डोरिया ने उसके कमरे के अंदर घुसकर मां बहिन की गंदी गंदी गालिया दी, मारपीट की और जमीन पर पटक दिया जिससे दाहिने कंधे में मुंदा चोट आई, सामने के एक दांत में भी चोट आई। चिल्लाने पर दूसरे कमरे में मौजूद सी.एम.ओ. दिनेश श्रीवास्तव और रामनरेश तथा सुभाष ने आकर बचाया। उत्तेजना में आवेदक ने शासकीय कागज फाड़ दिए और फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की लिखित रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना मौ में की गई।</p> <p>इस मामले में आवेदक दिनांक 09.09.17 से अर्थात् 15 दिवस से निरोध में है। फरियादी की मेडीकल रिपोर्ट में दाहिनी ओर ऊपरी इनसाइजर टीथ, टखने तथा कंधे में दर्द होने की शिकायत होना बताया गया है। दांत के संबंध में एक्सरे रिपोर्ट संलग्न है जिसमें दाहिनी ओर दूसरे ऊपरी इनसाइजर की जड़ में फ्रैक्चर आने का उल्लेख है। परंतु अन्य दोनों चोटों के संबंध में कोई एक्सरे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं है। आवेदक स्वयं भी शासकीय सेवक है। शासकीय कार्य करने के संबंध में कोई प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है। शासकीय कार्य कार्यालय पर किया जा रहा था। ऐसा भी अभियोजन मामला नहीं है। घटना फरियादी के कमरे की होना बताई गई है। शासकीय सेवक होने से आवेदक के फरार होने या अनुपस्थित होने की संभावना भी कम है।</p> <p>अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक के निरोध की अवधि, आवेदक का भी शासकीय सेवक होना देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः आवेदन स्वीकार किया गया।</p> <p>अतः आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त जयसिंह की ओर से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद की संतुष्टि योग्य 50,000/-रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जावे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।</li> <li>2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगा।</li> <li>3. फरार नहीं होगा।</li> <li>4. विचारण में सहयोग करेगा।</li> <li>5. विचारण के दौरान अभियुक्त समान अपराध कारित नहीं</li> </ol>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>करेगा।</p> <p>यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।</p> <p>आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर पालनार्थ भेजी जावे।</p> <p>केस डायरी वापस हो।</p> <p>प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	